२१/५/२४

पत्रावली पेश हुई। प्रतिवादी पक्षकार ३ व ४ की ओर से उपस्थिति पत्र स्वीकार किया जाता है लिखित निर्णय पृथक से लिखकर जारी कर पत्रावली शामिल किया गया। पत्रावली प्रकरण सुनवाई नम्बर से कम करके पत्रावली जमा ले कर अभिलेख में शामिल हो।

	दायर दिनांक	आदेश दिनांक
15 / 2024	22.03.2024	21.05.2025

बउनवान

1. मैनवाती पुत्री रूपचन्द जाति मेघवाल निवासी कोकावास तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

:— प्रार्थी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र :— अन्तर्गत धारा 136
भू राजस्व अधिनियम 1956

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि :—

1. यह है कि आराजी ख० नं० हाल 43 / 1.45 हैक0, 44 / 1.28 हैक0, 45 / 0.01 हैक0, 46 / 0.47 हैक0, 47 / 0.53 हैव0, 48 / 0.61 हैक0, 49 / 0.01 हैव0, 50 / 0.65 हैक०, कुल किता 8 कुल रकबा 5.01 हैक०, वाके ग्राम हठुण्डी तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राजस्थान में स्थित है। उक्त आराजी प्रार्थना पत्र में विवादित आराजी कहलायेगी। नकल जमाबन्दी हाल संलग्न प्रार्थना पत्र है।
2. यह है कि आराजी मुतनाजा प्रार्थीया की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी है, एवं समस्त ऋण भारो से मुक्त है, एंव प्रार्थीया के कब्जे काश्त एवं हिस्से बाबत कोई विवाद भी नहीं है। प्रार्थीया अपने हिस्से पर नियमित व निरन्तर बेरोकटोक काबिज होकर काश्त कार्य कर रही है।
3. यह है आराजी उपरोक्त का विरासत इंतकाल दर्ज करते समय राजस्व कर्मचारियो द्वारा मिन प्रार्थीया का नाम मैना पुत्री रूपचन्द दर्ज कर दिया जबकि प्रार्थीया के समस्त पहचान के दस्तावेजात में वास्तविक नाम मैनवती पुत्री रूपचन्द अंकित है, इसलिये प्रार्थीया अपना नाम मैना पुत्री रूपचन्द के स्थान पर मैनवती पुत्री रूपचन्द दर्ज कराने की अधिकारी है।
4. यह है कि प्रार्थीया के परिवार में मैना नाम की कोई दीगर महिला नहीं है. और ना ही कभी पहले रही है। मैनवती का उपनाम ही मैना है, प्रार्थीया के

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

परिवार में मैनवती नाम की अलग महिला नहीं है। जिसे मिन प्रार्थीया दुरुस्त कराने की अधिकारी है।

5. यह है कि प्राथर्थीया राजस्व रिकोर्ड में अपना नाम शुद्ध कराने के लिये प्रार्थना पत्र पेश कर रही है। प्राथींया किसी दीगर खातेदार का हक व हिस्सा नहीं लेना चाहती है। राजस्व रिकोर्ड में हो रहे गलत अंकन को शुद्वीपत्र के जरिये शुद्ध कराने के लिये आवेदन पेश करना लाजिमी आया है।

6. यह है कि मिन प्रार्थीया ने दिनांक 15/03/2024 को पटवारी हल्का से सम्पर्क किया व राजस्व रिकोर्ड का अवलोकन किया तो उक्त गलत इन्द्राज की जानकारी हुयी जिस पर मिन प्रार्थीया ने पटवारी हल्का से राजस्व रिकोर्ड की नकले प्राप्त कर अप्रार्थी से अपना नाम दुरूस्त कराने के लिये निवेदन किया तो अप्रार्थी ने अदालत से आदेश लाने के लिये कहकर टाल दिया इसलिये प्रार्थना पत्र अविलम्ब ही श्रीमान के समक्ष पेश किया जा रहा है।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से अनुतोष चाहा गया है कि

अतः प्रार्थना पत्र पेशकर निवेदन है कि उक्त आराजी ख० नं० हाल 43/1.45 हैक0, 44/1.28 हैक0, 45/0.01 हैक0, 46/0.47 हैक0, 47/0.53 हैक0, 48/0.61 हैक0, 49/0.01 हैक0, 50/0.65 हैक0, कुल किता 8 कुल रकबा 5.01 हैक०, वाके ग्राम हठुण्डी तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राजस्थान में दर्ज राजस्व रिकोर्ड में मैना पुत्री रूपचन्द के स्थान पर सही व वास्तविक नाम मैनवती पुत्री रूपचन्द दर्ज किये जाने के आदेश फरमाये जावें। श्रीमानजी की महति कृपा होगी।

अप्रार्थी की विधिवत रूप से तामिल करवाई गई विधिवत रूप से तामिल होने उपरान्त अप्रार्थी ने जबाव प्रस्तुत किया गया, जो पत्रावली शामिल है।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन शपथ पत्र मैनवती, पैन कार्ड की, राशन कार्ड की, पहचान पत्र की व जमाबन्दी सम्वत 2073–76 की प्रति पेश की।

प्रार्थी वकील ने अपने बहस के दौरान कथन कहे कि प्रार्थी का राजस्व रिकोर्ड में मैना दर्ज है जबकी प्रार्थी का सही नाम मैनावती है। ग्रामीण भाषा में मैनावती को मैना बोला जाता है हल्का पटवारी द्वारा मैनावती के स्थान पर मैना दर्ज कर दिया गया जो गलत है। प्रार्थी के समस्त दस्तावेजात में मैना ना होकर मैनावती दर्ज है। इसलिए प्रार्थी का राजस्व रिकोर्ड में दर्ज मैना को कलमजन किया जाकर मैनावती दर्ज किया जावें।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

रूपचन्द के स्थान पर मैनवती पुत्री रूपचन्द

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, प्रस्तुत दस्तोवजात व प्रार्थी वकील की बहस पर मनन करने पर विवचेन इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात में मैना ना होकर मैनावती दर्ज है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है।

आदेश

उक्त विवेचन के अनुसार यह न्यायालय प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर विवादित आराजी ख0 नं0 43/1.45 हैक0, 44/1.28 हैक0, 45/0.01 हैक0, 46/0.47 हैक0, 47/0.53 हैक0, 48/0.61 हैक0, 49/0.01 हैक0, 50/0.65 हैक0, कुल किता 8 कुल रकबा 5.01 हैक०, वाके ग्राम हठुण्डी तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राजस्थान राज0 में दर्ज मैना को कलमजन किया जाकर मैनावती राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद किया जावें। तहसीलदार मुण्डावर को अहकाम जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 21.05.2025 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

(सुरेश कुमार बलाई)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर, खैरथल तिजारा राज0